न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 43/2019

1 राधाकिशन पुत्र हनुमान जाति कुमावत निवासी पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 लालचन्द पुत्र आशाराम।
2 कन्हैयालाल पुत्र शिवबक्सा।
3 बाबूलाल पुत्र शिवबक्सा।
4 सुधीर कुमार पुत्र शिवबक्सा।
5 फूली देवी पत्नी शिवबक्सा।
6 तीजू देवी पुत्री शिवबक्सा।
7 मोहनी देवी पुत्री शिवबक्सा।
8 हनुमान प्रसाद पुत्र आशाराम।
9 बंशीलाल पुत्र आशाराम।
10 भोमाराम पुत्र आशाराम।
11 देवाराम पुत्र भागीरथ।
12 केसरराम पुत्र भागीरथ समस्त जाति रैगर निवासीगण पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
13 चन्द्राराम पुत्र हीरालाल।
14 धन्नाराम पुत्र मूलाराम।
15 आनीलाल पुत्र हीरालाल।
16 शिशपाल पुत्र हीरालाल।
17 सुरेश पुत्र हीरालाल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

18 रामेश्वर पुत्र नारायण।
19 कजूराम पुत्र नारायण।
20 लादूराम पुत्र रेखाराम।
21 बालूराम पुत्र सेवाराम।
22 मदनलाल पुत्र सेवाराम।
23 केसरी बेवा सेवाराम।
24 कालुराम पुत्र मांगू।
25 खेताराम पुत्र मांगू।
26 श्रवण पुत्र मांगू।
27 लादूडी पत्नी मांगूराम समस्त जाति कुमावत निवासीगण पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
28 राजकुमार पुत्र पीथाराम।
29 श्रवण कुमार पुत्र पीथाराम।
30 भंवरी पत्नी पीथाराम।
31 हजारीमल पुत्र मांगूराम।
32 हणमान पुत्र अर्जुनराम।
33 रघुवीर पुत्र अर्जुनराम।
34 गोपाल पुत्र अर्जुनराम।
35 बोदू पुत्र अर्जुनराम।
36 गंगा देवी बेवा अर्जुनराम।
37 शांति पुत्री अर्जनराम।
38 बरजी पुत्री अर्जुनराम।
39 कोयली पुत्री अर्जुनराम।
40 संज्या पुत्री अर्जुनराम।
41 गणपत पुत्र पन्नालाल।
42 जुगल पुत्र पन्नालाल।
43 कालू पुत्र पन्नालाल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

44 गिरधारी पुत्र पन्नालाल समस्त जाति रैगर निवासीगण पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
45 पार्वती बेवा सत्यनारायण।
46 निशान्त पुत्र सत्यनारायण।
47 महेन्द्र कुमार पुत्र शिवदयाल।
48 दिनेश कुमार पुत्र शिवदयाल।
49 जुगलकिशोर पुत्र शिवदयाल समस्त जाति पारीक निवासीगण ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
50 कल्याणमल पुत्र पुराराम जाति रैगर।
51 गोविन्दराम पुत्र नानूराम जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
52 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।
53 मोतीलाल पुत्र हनुमान।
54 मन्जू पत्नी मोतीलाल।
55 शांति पत्नी राधाकिशन समस्त जाति कुमावत निवासीगण ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.05.2005 मुकदमा नम्बर 80/2002 बउनवानी लालचन्द आदि बनाम मांगूराम आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

अपील संख्या 44/2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1 राधाकिशन पुत्र हनुमान जाति कुमावत निवासी पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 लालचन्द पुत्र आशाराम।
2 कन्हैयालाल पुत्र शिवबक्सा।
3 बाबूलाल पुत्र शिवबक्सा।
4 सुधीर कुमार पुत्र शिवबक्सा।
5 फूली देवी पत्नी शिवबक्सा।
6 तीजू देवी पुत्री शिवबक्सा।
7 मोहनी देवी पुत्री शिवबक्सा।
8 हनुमान प्रसाद पुत्र आशाराम।
9 बंशीलाल पुत्र आशाराम।
10 भोमाराम पुत्र आशाराम।
11 देवाराम पुत्र भागीरथ।
12 केसरराम पुत्र भागीरथ समस्त जाति रैगर निवासीगण पचार तहसीलल दांतारामगढ़ जिला सीकर।
13 चन्द्राराम पुत्र हीरालाल।
14 धन्नाराम पुत्र मूलाराम।
15 आनीलाल पुत्र हीरालाल।
16 शिशपाल पुत्र हीरालाल।
17 सुरेश पुत्र हीरालाल।
18 रामेश्वर पुत्र नारायण।
19 कजूराम पुत्र नारायण।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

20 लादूराम पुत्र रेखाराम।
21 बालूराम पुत्र सेवाराम।
22 मदनलाल पुत्र सेवाराम।
23 केसरी बेवा सेवाराम।
24 कालुराम पुत्र मांगू।
25 खेताराम पुत्र मांगू।
26 श्रवण पुत्र मांगू।
27 लादूडी पत्नी मांगूराम समस्त जाति कुमावत निवासीगण पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
28 राजकुमार पुत्र पीथाराम।
29 श्रवण कुमार पुत्र पीथाराम।
30 भंवरी पत्नी पीथाराम।
31 हजारीमल पुत्र मांगूराम।
32 हणमान पुत्र अर्जुनराम।
33 रघुवीर पुत्र अर्जुनराम।
34 गोपाल पुत्र अर्जुनराम।
35 बोदू पुत्र अर्जुनराम।
36 गंगा देवी बेवा अर्जुनराम।
37 शांति पुत्री अर्जनराम।
38 बरजी पुत्री अर्जुनराम।
39 कोयली पुत्री अर्जुनराम।
40 संज्या पुत्री अर्जुनराम।
41 गणपत पुत्र पन्नालाल।
42 जुगल पुत्र पन्नालाल।
43 कालू पुत्र पन्नालाल।
44 गिरधारी पुत्र पन्नालाल समस्त जाति रैगर निवासीगण पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

45 पार्वती बेवा सत्यनारायण।
46 निशान्त पुत्र सत्यनारायण।
47 महेन्द्र कुमार पुत्र शिवदयाल।
48 दिनेश कुमार पुत्र शिवदयाल।
49 जुगलकिशोर पुत्र शिवदयाल समस्त जाति पारीक निवासीगण ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
50 कल्याणमल पुत्र पुराराम जाति रैगर।
51 गोविन्दराम पुत्र नानूराम जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
52 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।
53 मोतीलाल पुत्र हनुमान।
54 मन्जू पत्नी मोतीलाल।
55 शांति पत्नी राधाकिशन समस्त जाति कुमावत निवासीगण ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2006 मुकदमा नम्बर 80/2002 बउनवानी लालचन्द आदि बनाम मांगूराम आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भींवाराम मील, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः–23-12-22

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 80/2002 में पारित निर्णय दिनांक 16.05.2005 एवं 31.03.2006 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनो पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 26 ने विचारण न्यायालय में एक दावा बाबत इस्तकरार हक, हुक्म, इम्तनाई दवामी एवं बंटवारा तथा दुरूस्ती इन्द्राजात अन्तर्गत धारा 88,188,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 782,784,823 से 825,836, 837, 853,854,859 से 864,867 कुल किता 18 कुल रकबा 17.88 हैक्टेयर वाके पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे प्रतिवादी संख्या 7 कल्याण पुत्र पुराराम का नाम हजफ किया जावे एवं बंटवारा किया जावे। जिस वाद में दिनांक 16.05.2005 को निर्णय पारित किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री पारित की गयी एवं दिनांक 31.03.2006 को निर्णय पारित कर अंतिम डिक्री जारी की गयी। इससे व्यथित होकर प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री के विरूद्व पृथक–पृथक अपीले प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण एवं कुछ प्रतिवादीगण ने दिनांक 13.05.2005 को वाद में राजीनामा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार खसरा नम्बर 853,854,859,860,862,863/2,823/1 किता 7 कुल रकबा 4.35 हैक्टेयर की खातेदारी अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 50 से 52 को बहिस्सा बराबर दिये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जाने का राजीनामा किया तथा दिनांक 16.05.2005 को उक्त राजीनामा के अनुसार वाद डिक्री किया जाकर पत्रावली फैसल कर दाखिल दफतर की गयी तथा राजस्व रिकार्ड में राजीनामा के अनुसार ही अलम दरामद होना चाहिए था, परन्तु राजीनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन न होकर पत्रावली में अंतिम निर्णय हो जाने के पश्चात भी वादीगण ने विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जिसमें अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 53 से 55 को राजीनामा से कम भूमि अर्थात राजीनामा में कुल रकबा 4.35 हैक्टेयर था जिसे कम करके 3.77 हैक्टेयर कर दिया इसलिए उस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर जिस पर कोई दिन, दिनांक अंकित नही है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2005 को निर्णय कर दिये जाने के पश्चात दिनांक 31.03.2006 को पुनः निर्णय पारित किया गया जिसमें विभाजन प्रस्ताव का उल्लेख है जबकि विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाबत अपीलांट को कोई सुनवायी व आपत्ति एतराज का असवर नही दिया गया। विभाजन प्रस्ताव पर खातेदारो पक्षकारो से हस्ताक्षर नही है तथा तहसीलदार के द्वारा तैयार नही किया गया है जबकि विभाजन प्रस्ताव पक्षकारो, खातेदारो की उपस्थिति में स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर तैयार किया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात दिनांक 16.05.2005 को डिक्री पारित किये जाने का निर्णय हो जाने के बाद अपीलांट व अन्य खातेदारान ने स्वतः राजस्व रिकार्ड में अमल हो जाना सोचकर निश्चित हो गये तथा अर्सा करीब 2 वर्ष पूर्व अपीलांट ने अपनी भूमि पर ऋण भी प्राप्त किया, परन्तु वृद्वावस्था होने के कारण राजस्व रिकार्ड में रकबा की ओर कतई ध्यान नही दिया परन्तु इस वर्ष माह जुलाई 2019 में बरसात होने पर अपीलांट जब अपने खेतो की बुवाई जुताई के लिए परिवारजन के साथ गया तो रेस्पोडेंट ने खाते में जमीन कम होने की कहकर काश्त नही करने दी तब दिनांक 15.07.2019 को अपीलांट ने हल्का पटवारी से मिलकर अपनी भूमि के रकबा की जानकारी चाही तो हल्का पटवारी ने रकबा 3.77 हैक्टेयर में हिस्सा 1/4 होने की जानकारी दी तो अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर निर्णय व डिक्री

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की प्रतिलिपि लेने हेतु आवेदन किया जो दिनांक 15.07.2019 को प्राप्त हुई व आज प्रस्तुत अपील अविलम्ब प्रस्तुत की जा रही है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किये जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पक्षकारों के मध्य राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा बाद जांच राजीनामा तस्दीक कर मुताबिक राजीनामा निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। विचारण न्यायालय में किसी भी पक्षकार द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्राथमिक डिक्री जारी होने से पूर्व प्रस्तुत राजीनामे पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर नही है स्पष्ट है कि राजीनामे के अनुसार डिक्री हेतु सभी पक्षकार सहमत नही थे। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी नही की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार को कोई तहरीर जारी नही की है। बिना किसी तहरीर के, बिना पक्षकारान को सुचित किये तहसीलदार द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है यद्यपि विभाजन प्रस्ताव में मुताबिक राजीनामा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का अंकन है किन्तु राजीनामें ओर विभाजन प्रस्ताव में रकबे का अन्तर है। विभाजन प्रस्ताव पर केवल मात्र एक पक्षकार के हस्ताक्षर है अन्य किसी पक्षकार के हस्ताक्षर नही है। विभाजन प्रस्ताव में यह भी अंकित नही है कि कोन–कोन पक्षकार उपस्थित है ओर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया हो। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को विधि सम्मत नही माना जा सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर